कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 16 (145) विधि/आकाशि/जे.पी/2010 /126 दिनांकः 6.11.12

प्राचार्य,
यू.जी.सी. से संबधित समस्त
राजकीय महाविद्यालय

विषयः—शिक्षक अध्येतावृति में जाने से हुये रिक्त पदों पर लगाये गये एवजी व्याख्याताओं को यूजीसी नियमानुसार वेतन भत्तों का पुर्नभरण प्राप्त कर वितरण करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि टी.आर. एफ.पर जाने से हुये रिक्त पदों पर नियुक्त एवजी व्याख्याताओं को वेतन भुगतान हेतु वित्त विभाग के अनुसार 221/1295 एफ डी दिनांक 7.9.2010 एवं शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग की आई. डी. सं. 343 दिनांक 8.9.2010 के निर्देशानुसार फिक्स वेतन 18200/– प्रतिमाह की दर से मानदेय देने हेतु आयुक्त, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 20 (29)आयो/आकाशि/2010/194 दिनांक 16 सितम्बर 2010 द्वारा निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशों के क्रम में एवजी व्याख्याताओ ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवजी व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम अनुसार न्यूनतम वेतन एवं वेतन पर मिलने वाले अन्य भत्तें जैसे मकान किराया महंगाई भत्ता आदि दियेजाने का निर्णय दिया गया जिसकी अनुपालना में राज्य सरकार के वित्त विभाग के आई.डी.संख्या 221201427 दिनांक 11.10.2012 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एवजी व्याख्याताओं को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन एवं देय भत्ते 18200 रूपये के स्थान पर देय होगें।

(सुनील कुमार शर्मा)
निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर